

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2022

विषय:-कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-100/2022-सीएक्स-3, दिनांक 16.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त संदर्भित आदेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 23.01.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षाएँ जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 30.01.2022 तक बन्द रहेंगे परन्तु ऑन लाइन कक्षाएँ यथावत् जारी रहेगी।

भवदीय,




(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-132 (1)/2022-सीएक्स-3 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव